किस्त-3

उसूले दीन

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह

नुबुवत

नुबुवत अर्थात् अल्लाह की ओर से विश्व को सच्च मार्ग बताने के लिए ऐसे मनुष्य नियुक्ति किये जाते रहे हैं जिन्हें नबी कहते हैं।

तौहीद एवं न्याय की सामूहिक माँग

तौहीद (अल्लाह की इकाई) एवं अद्‌ल (न्याय) के पश्चात् नुबुवत का स्थान है। नुबुवत इन्हीं दोनों (अद्‌ल और तौहीद) की सच्चाईयों पर आधारित है जिनको पहले दो मज़ामीन में सिद्ध किया जा चुका है। यदि विश्व केवल द्रव्य के अणुओं से बना हुआ होता, यदि उसका स्वामी (जन्मदाता) नियमिता और चैतन्यता से रहित होता, यदि वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में असफ़ल होता अथवा विश्व को सत्ता में लाकर अल्लाह ने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया होता तो इन दशाओं में वह विश्व की अच्छाईयों व बुराईयों से कोई सम्बन्ध न रखता और फिर यदि मनुष्य अपने कर्मों में विवश होता और जन्मदाता (अल्लाह) स्वयं अपनी इच्छानुसार जो चाहता वही उससे करा लेता तो उन समस्त दशाओं में नुबुवत का कोई प्रश्न ही न उठता, परन्तु ''तौहीद'' में यह सिद्ध हो चुका है कि इस विश्व का एक ऐसा जन्मदाता है जो ज्ञानी, अपने कर्म में निपुण और सर्वसमर्थ है। उसने विश्व को जन्म देकर उससे अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ लिया है वरन् उसका पालनकर्ता और दीक्षा देने वाला है।

मनुष्य के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु अपने उद्‌देश्य तक अल्लाह की इच्छा से पहुँचती है। इसके लिए मध्य में किसी संवाद-वाहक या दूत की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य भी अपने जीवन की प्राकृतिक गति में जन्म, बचपन, वृद्धावस्था और मृत्यु के द्वारों को उसी प्रशासन के अधिपत्य में तय करता है। अब उसके दृष्टिकोण, कार्य करने के ढंग तथा जीवन कर्म जो कि उसकी मनुष्यता के चिन्ह हैं ये भी अगर विवश होकर अल्लाह के अधिपत्य में पूरे किये जाते तो नबी की कोई आवश्यकता नहीं थी, अल्लाह जिस मार्ग पर चाहता उस पर अपनी माया से स्वयम् ही चला देता। परन्तु यह 'अद्‌ल' (न्याय) में सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य अपने कर्मों और क्रियाओं का सर्वेसर्वा बनाया गया है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने विचारों और अधिकारों को लिये हुए उचित मार्ग पर चले और अनुचित मार्ग पर जाने की बात भी कभी न सोचे। नहीं तो अल्लाह की पालनहारता इसके उचित कौशल की सीमा तक पहुँचने की उत्तरदायी है। आवश्यक है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि मनुष्य के सम्मुख उचित और अनुचित रास्ते स्वयम् ही उपस्थित हो जाएं। इस तरह कि उस पर कोई विवशता प्रभावित न हो वरन् वह अपने विचारों से स्वयम् उचित मार्ग पर चले तो अल्लाह की आज्ञापालन करने वाला माना जाए और अनुचित मार्ग पर चले तो अल्लाह की आज्ञा की अवहेलना करने वाला समझा जाए।

इस प्रकार इसकी मनुष्यता की श्रेष्ठता अपनी चरित्र और व्यवहारों से उन्नति और निपुणता की अन्तिम सीमा तक स्वयम् पहुँचे जो इसकी मानुषिक महानता की माँग है। यही जीवन के उद्‌देश्य जो मनुष्य को निपुणता की सीमा तक पहुँचाने के लिए जन्मदाता की

ओर से उपस्थित किया जाता है 'शरीअत' कहलाता है। और वह महान् पुरुष जो इस शरीअत पर प्रयोग कराने और मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए नियुक्त होता है नबी कहलाता है। उपदेश देने तथा अपने विचारों को प्रकट करने वाले के स्थान पर नियुक्त किये जाने को बेसत कहते हैं। अल्लाह अपनी आज्ञाओं को जिस प्रकार उस नबी तक पहुँचाए उस ढंग को 'वह्य' (अशुद्ध उच्चारण, वही) कहते हैं।

अभ्रान्तता

अल्लाह की ओर से विश्व की मानव जाति को उपदेश देने के लिए जो व्यक्ति निर्धारित किया जाए वह ऐसा ही हो सकता है जिससे भूले भटके किसी तरह भी विश्व के मनुष्यों को सच्चाई के मार्ग से भटक जाने का संदेह न हो, जो अल्लाह की जानकारी में इस प्रकार का कुशल मनुष्य हो, उसको अभ्रान्त (मासूम) कहते हैं।

उत्तमता

नबी मनुष्य को निपुणता की अन्तिम सीमा तक पहुँचाने के लिए आता है, अतः उसे अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त मनुष्यों की निपुणता में बढ़कर होना चहिए जिससे अन्य लोगों को उसके पीछे चलने की आज्ञा देना अन्याय न समझा जाए।

प्रत्येक जाति का पथ प्रदर्शक

अल्लाह की पालनहारता सिमित नहीं है इस लिए उसके पथ-प्रदर्शक से किसी देश और जाति को वंचित नहीं रक्खा जा सकता। वास्तव में उसने प्रत्येक देश और जाति के लिए किसी न किसी को पथ-प्रदर्शक अवश्य ही बनाया, यह दूसरी बात है कि कुछ जातियों और देशों के सम्बन्ध में ठीक ज्ञान न हो कि उनका सच्चा पथ-प्रदर्शक अल्लाह की ओर से किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में था, अथवा उस जाति ने उसके उपदेशों से कोई लाभ उठाया हो या अब वह उससे दूर जा पड़ी है और जो शिक्षा उसके नाम पर दी जाती है वह उसकी वास्तविक शिक्षा न हो वरन उसका परिवर्तित रूप हो कर रह गई हो।

पिछले नबी

प्राचीन काल में पैग़म्बरों के नाम जिनके नामों की प्रमाणिकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, निम्नलिखित हैं।

आदम, इद्रीस, नूह, इब्राहीम, लूत, इस्माईल, इस्हाक़, याकूब, यूसुफ़, ख़िज़्र, मूसा, हारून, शुऐब, अय्यूब, हूद, सालेह, यूनुस, दाऊद, सुलैमान, जुलकिफ़्ल, ज़करिया, यह्या और ईसा।

इनकी नुबुवत पर विश्वास करना एक मुसलमान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इनके अतिरिक्त शेष नबियों के नामों की वास्तविकता में पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। साधारणतः यह मानना आवश्यक है कि जितने पथ-प्रदर्शक अल्लाह की ओर से आए वे सब सच्चे थे।

महान नबी

जो नबी जीवन के व्यावहारिक उद्देश्य अर्थात् शरीअत लेकर आए उन्हें महान नबी उलुल-अज़्म कहते हैं। ऐसे पिछले नबियों में चार थे। नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा। इनके पहले जीवन के प्रारम्भिक नियम हज़रत आदम के समय से उनकी सन्तानों में अवश्य ही प्रचलित थे। परन्तु वे नियम या सिद्धान्त मानवी जीवन के हर मार्ग में इतनी गहराई तक नहीं पहुँच सके कि उन नियमों को शरीअत के नाम से सुशोभित किया जाता इसी कारण हज़रत आदम की गणना महान् नबियों में नहीं होती है।

अल्लाह के दस ग्रन्थ

उपरोक्त नबियों में से तीन नबियों को अल्लाह की ओर से पवित्र पुस्तकें प्रदान की गईं हैं।

मूसा को - तौरात
दाऊद को - ज़बूर
ईसा को - इंजील

सम्भव है तौरात (हज़रत मूसा की पुस्तक) के साथ बाइबिल में जो अनेकों पाठ हैं उनमें से कुछ या सभी वास्तविकता की दृष्टि में ठीक हों परन्तु सच तो यह है कि तौरात, ज़बूर, इंजील की प्रतिलिपियाँ जो बाइबिल के नाम से संसार में प्रचलित हैं वे वास्तविक पुस्तकें नहीं हैं, जो अल्लाह की ओर से पैग़म्बरों को प्रदान की गई हैं। वरन् ये सब मौलिक ग्रन्थों के परिवर्तित रूप हैं।

अलौकिक घटना (मोजिज़ा)

प्रत्येक रसूल के साथ उसकी सच्चाई का कोई प्रमाण अथवा चिन्ह होना आवश्यक है। वह चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो संसार में अपनी समता न रखता हो या अन्य कोई मनुष्य उसका जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। इस चिन्ह को मोजिज़ा (अलौकिक) घटना कहते हैं। जिसे केवल अल्लाह के श्रेष्ठ दूत ही घटित कर सकते हों, अन्य कोई नहीं।

प्रथम नबी

सर्वप्रथम अल्लाह की ओर से जो नबी नियुक्ति हुए थे हज़रत आदम थे। जो मानव समुदाय के प्रथम व्यक्ति थे जो कि मानव नद के स्रोत थे।

आदम सभी नबियों की तरह निष्पाप एवं अपराधशून्य थे। इसी कारण जन्मदाता (अल्लाह) की ओर से नुबुवत के पद पर आसीन हुए।

गेहूँ खाना जो उनके लिए निषेध किया गया वह कोई वैधानिक आज्ञा या रोक न थी, जिसकी अवहेलना को अपराध समझा जा सके वरन् एक लाभादायक सलाह थी जिसकी अवहेलना करने में उन्हे स्वर्ग को छोड़कर इस भूमि पर आना पड़ा। अगर ऐसा न होता तो आदम को इस नश्वर संसार में आना होता। क्योंकि उनके द्वारा अल्लाह को मनुष्य की जाति को आगे बढ़ाना था और अल्लाह का संसार को बनाने का उद्देश्य बिना उनके पृथ्वी पर आए पूरा ही नहीं हो सकता था।

नोटः- इस्लाम के अन्तर्गत यह कहा जाता है कि अल्लाह ने सर्वप्रथम स्वर्ग में हज़रत आदम और हौवा को उतपन्न किया और उन्हें एक बाग़ में जहाँ गेहूँ के पौधे थे छोड़ दिया गया और उन्हें ये हिदायत दी गई कि वे गेहूँ की बाली तोड़कर खाएं नहीं। परन्तु हज़रत आदम ने गेहूँ खा लिया। अतः उन्हें स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा।

ईसा बिन मरियम

हज़रत ईसा एक सच्चे नबी थे और उनकी माँ हज़रत मरियम एक पवित्र और विदुधी महिला थीं। हज़रत ईसा को अल्लाह ने अपनी माया से बिना पिता के उत्पन्न किया था। जिस प्रकार आदम को अल्लाह ने बिना माता-पिता के उत्पन्न किया था। इस कारण ईसा को अल्लाह का बेटा कहना अनुचित है क्योंकि उत्पन्न होना स्वयम् एक संसारिक प्राणी का चिन्ह है अतः वे स्वयम् अल्लाह नहीं हो सकते। पुत्र पिता का एक अंश होता है, अल्लाह एक अखंड सत्ता है उसका कोई अंश नहीं हो सकता। अतः बेटा भी कोई नहीं हो सकता।

अन्तिम रसूल

सब के पश्चात! अन्त में अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद साहब[स०] को पैग़म्बर बनाकर भेजा। आप अपने पहले के प्रत्येक नबी से अधिक प्रतिभासम्पन्न थे। आपके पश्चात् फिर कोई नबी नहीं उत्पन्न हुआ। अतः आप ही की रिसालत (पैग़म्बरी) स्थायी हो गई।

अन्तिम अल्लाह दत्त ग्रन्थ

अल्लाह की ओर से हज़रत मुहम्मद साहब को अन्तिम धार्मिक पुस्तक ''क़ुरआन'' प्रदान की गई है। इस पुस्तक में वे सभी वास्तविकताएं जो पूर्व की पुस्तकों में प्रकट की गईं थीं सुरक्षित हैं और उनके आगे भी क़यामत तक के पथ प्रदर्शन के लिए एकत्रित की गईं शिक्षाएं लिखी हैं।

हज़रत मुहम्मद के सिद्धान्त

हज़रत मुहम्मद साहब के पहले के नबियों के सिद्धान्त प्रायः ऐसे कार्यों पर टिके हुए थे जो किसी एक काल विशेष के लिये ठीक थे परन्तु पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद साहब को ऐसे निधान व सिद्धान्त प्रदान किये गये जिनमें क़यामत तक सर्वसाधारण की हर प्रकार की भलाई व अच्छाई के साधन निहित हैं। अतः इनके सिद्धान्तों ने पिछले नबियों के सिद्धान्तों को पुराना ठहराया। हज़रत मुहम्मद साहब के सिद्धान्त स्थाई और अपरिवर्तनशील हैं।

नुबुव्वत की दलीलें (प्रमाण)

हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद साहब जिनके पिता अब्दुल्लाह, दादा अब्दुल मुत्तलिब, परदादा हाशिम बिन अब्दे मनाफ़, इब्राहीम के पुत्र इस्माईल की नस्ल से थे। आप चालीस वर्ष की आयु में रसूल की हैसियत से प्रकाश

में आए। आपकी नुबुव्वत की सच्चाई की विश्वसनीय दलीलें विद्वानों के समक्ष प्रकाशित थीं और अब भी हैं।

1- पिछले नबियों की भविष्यवाणियाँ जो कि परिवर्तित हो जाने पर भी बाइबिल में अब तक दिखाई देती हैं और हज़रत के प्रस्थान के समय अधिक स्पष्ट थीं।

2- हज़रत की पवित्र और श्रेष्ठ प्रकृत्तियाँ जिनका चालीस वर्ष तक निरीक्षण हो चुका था। हज़रत मुहम्मद साहब के जीवन में विशेष रूप से उनकी सत्यता तथा ईमानदारी इतनी प्रकट हो चुकी थी कि अरब के लोगों ने उनका नाम ही सादिक़ (सच्चा) और अमीन (ईमानदार, धरोहर रखने में विश्वसनीय) रख दिया था।

3- वे असाधारण और अलौकिक घटनाएं जिन्हें मोजिज़ा कहते हैं हज़रत मुहम्मद साहब के द्वारा घटित हुईं जिस प्रकार कि उनके पहले के नबियों द्वारा घटित की गई या प्रकाश में आईं। यह घटनाएं लोगों के द्वारा देखी जाने वाली थीं अर्थात् इनका आँखों या देखने से सम्बन्ध था। जिनमें शक़्क़ुल क़मर (चन्द्रमा के दो टुकड़े हो जाना) और रजअते शम्स (सूरज का पलट जाना) अत्यन्त स्पष्ट रूप में थीं। एक अन्य मोजिज़ा प्रत्येक काल और प्रत्येक मनुष्य के लिए बाक़ी है जिसे ''क़ुरआन मजीद'' कहते हैं।

क़ुरआन किन-किन हैसियत में एक असाम्भविक घटना है इसका विस्तृत विवचन हमारी एक अन्य पुस्तक ''मुक़द्दमः तफ़सीर क़ुरआन'' में किया जा चुका है।

इस्लाम धर्म और हज़रत मुहम्मद के सिद्धान्त

इस्लाम उस धर्म का नाम है जिसका मौलिक सिद्धान्त तौहीद ''अल्लाह की इकाई'' की उपासना है।

यह धर्म सदैव से एक ही था। आदम से लेकर ख़ातम (हज़रत मुहम्मद) तक इसी धर्म के प्रचार करने के लिए अनेकों नबी भेजे गए परन्तु हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा उनमें सबसे अधिक लोगों के हृदय पर प्रभाव डालने वाले, दिल में घर कर लेने वाले तथा आँखों में समा जाने वाले हुए। इसी कारण आपको इस्लाम की बुनियाद डालने वाला कहा जाता है।

परन्तु शरीअत उस क़ानून को कहते हैं जिसको व्यावहारिक जीवन में कमी को पूरा करने के लिए मनुष्यों और संसार की रचना के लिए जन्मदाता की ओर से जारी किया गया हो। इसके सभी कार्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित किये जा सकते हैं इस कारण पहले के नबियों के सिद्धान्तों को अनेकों आज्ञाएँ हज़रत मुहम्मद साहब के सिद्धान्तों में समविष्ट कर दी गई हैं। निसन्देह इनके सिद्धान्तों में इस प्रकार के दोषरहित और उचित नियम रख दिये गये हैं जो कभी भी इस्लाम से अलग नहीं किये जा सकते हैं।

नस्ख़

(कोई आदेश देकर पुनः उसे लौटा या रद्द कर देना)

अल्लाह की ओर से क़ानून के किसी अंश में परिवर्तन कर देने को नस्ख़ कहते हैं। ये परिवर्तन इसलिये नहीं किये जाते कि अल्लाह ने कोई ऐसा आदेश जारी किया जो उसकी अनभिज्ञता एवं अदूरदर्शिता का घोतक हो और तत्पश्चात त्रुटियों का ज्ञान होने पर लज्जावश अपने आदेश को रद्द कर रहा हो वरन् वातावरण, काल एवं परिस्थिति के उलटफेर या परिवर्तन के साथ आदेशों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है।

इस्लामी धर्म शास्त्र की पूर्णता

इस्लाम के धर्म शास्त्र की विशेषता उसके आदेशों का सम्पूर्ण होना है। उस में न द्रव्यी आवश्यकताओं को हटाया गया और न आत्मा की आवश्यकताओं को। बल्कि सांसारिक और धार्मिक को साथ-साथ रख दिया है। और धर्म के साथ जीवन को भी उज्जवल करने की सलाह दी गई है।

इस्लाम के प्रदर्शकों की शिक्षा यह है कि- हम में से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है जो धर्म को संसार के लिए तज दे और न उसका जो संसार को धर्म के लिए तज दे (सन्यासी हो जाए)।

यहाँ का विशेष सिद्धान्त यह है- ''संसार आख़िरत (परलोक) की खेती है'' और यह कि ''इस्लाम में सांसारिक वस्तुओं का तज देना (सन्यास) नहीं है''।

''इबादत (पूजा) का उद्देश्य''

इस्लामी विधान में इबादत केवल कुछ रीतियों के करने या बिलावजह अपने मन या शरीर को कष्ट

पहुँचाने का नाम नहीं है, वरन् व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन का प्रत्येक काम जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए उसके विधान के अनुसार पूरा किया जाए इबादत है।

इसमें अल्लाह के आदर तथा पूजा की रीतियों के साथ-साथ शरीरिक जीवन की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, और सीमित जीवन के काम जैसे अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव सभी बच्चों के साथ प्यार प्रेम करना तथा देशप्रबन्धीय जीवन के कार्य जैसे क़ौम के मनुष्यों के उपकार के सामान और उनके सुधार तथा उन्नति में प्रयत्न आदि सब ही सम्मिलित हैं।

किताबे बाक़ी (बाक़ी रहने वाली किताब)

क़ुरआन इस अर्थ में तो किताब-बाक़ी है ही कि पहले की पुस्तकों में जो धार्मिक आदेश थे वह सब समाप्त हो चुके हैं या पूर्ण रूप से क़ुरआन में आ गए हैं। अतः उन पुस्तकों के केवल ख़ुदा की किताब होने पर ही हमें ईमान लाना है किन्तु व्यावहारिक जीवन में क़ुरआन ही है जिसे दृष्टि के सामने रखना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त क़ुरआन इस लिहाज़ से भी ''किताब बाक़ी'' है कि दूसरी कोई आसमानी पुस्तक अपनी असली दशा में संसार की किसी जाति के पास इस समय नहीं है।

केवल क़ुरआन मजीद वह पुस्तक है जो अपने असली शब्दों के साथ इस समय संसार में मौजूद है। वैसे चाहे जितने भाषान्तर क़ुरआन को संसार की भाषाओं में हो जाए किन्तु उन में से कोई भाषान्तर भी मुसलमानों के समीप क़ुरआन नहीं समझा जा सकता।

क़ुरआन जिसका नाम है वह वही वस्तु है जो अपने एकता, क्रम, और अपरिवर्तित शब्दों के साथ करोड़ों मनुष्यों के हाथों में और लाखों मनुष्यों के सीनों में सुरक्षित है और जो संसार के हज़ारों परिवर्तनों के पश्चात् भी इन्शाअल्लाह ऐसा ही सुरक्षित रहेगा।

निस्सन्देह उसकी आयतों (वाक्यों) का क्रम वह नहीं है कि जिस क्रम से वह उतरी थीं किन्तु यह भी क़ुरआन की पहचान का एक न मिटने वाला मोज़िज़ा है कि क्रम बदल जाने पर भी उसके एजाज़ (मोजिज़ा होना) की अस्ल क़ायम व बाक़ी है और उसकी आयतें अपने परिपूर्ण भावों के साथ भी मारफ़त (ज्ञान) के कमालात (गुण) अपने दामन में लिये हुए हैं और जीवन के रास्तों में दीपक रौशन किये हुए हैं।

इमामत

इमामत एक महान धार्मिक पद है जो अल्लाह की ओर से मिलता है जिसके सम्बन्ध में (क़ुरआन से) पता चलता है कि वह नुबुव्वत और रिसालत के पदों के मिलने के बाद विशेष परीक्षा में सम्पूर्णतः सफ़ल होने पर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को मिला और उनकी इच्छा के अनुसार अल्लाह ने उन से वादा किया कि इमामत उनकी सन्तान को मिलेगी और हज़रत मुहम्मद साहब (जो उन्हीं की सन्तान में पैदा हुए) पर जब नुबुव्वत और रिसालत समाप्त हो गई तो इमामत, उन की ख़िलाफ़त के रूप में उनकी सन्तान में चलती रही।

ख़िलाफ़त

ख़िलाफ़त का अर्थ है 'जानशीनी' या उत्तराधिकार। इसलिए रसूलुल्लाह के बाद जो उनका जानशीन और उत्तराधिकारी हो उसको रसूल का ख़लीफ़ा कहना ठीक है और वास्तव में वह ऐसा ही होगा जो अल्लाह की ओर से इमामत के पद पर हो। इसलिए 'इमामत' जो हमारा विषय है, रसूलुल्लाह की सही जानशीनी है जो इस्लामी सम्प्रदायों में शिया और अन्य मुसलमानों में मतभेद का केन्द्रीय विषय है।

ख़लीफ़ा का स्थान

ख़लीफ़ा या उत्तराधिकारी उसको कहते हैं जो उन कार्यों को पूरा करे जिसका ज़िम्मेदार उसके पूर्व का अधिकारी था। इसलिए ख़लीफ़ा का स्थान समझने के लिए उस व्यक्ति का स्थान समझना आवश्यक है जिसका ख़लीफ़ा उसे होना है।

पैग़म्बर की हैसियत (पद) अगर एक राजा और दुनिया के शासक की होती तो दुनियावी और सांसारिक राजा और शासक उनके ख़लीफ़ा और उत्तराधिकारी समझे जा सकते थे मगर रसूल का पद तो एक धार्मिक शासक और हाकिम का था जिनकी आज्ञाएं ख़ुद उनकी आज्ञाएं नहीं थीं वरन् वे अल्लाह की आज्ञाएं थीं जो उनके द्वारा पहुँचाई जाती थीं। इसीलिए उनको ऐसा मानना

ज़रूरी है कि उनकी आज्ञाएं उनकी अपनी इच्छाएं नही थीं वरन् अल्लाह की इच्छा के अनुसार होती थीं। इसलिए उनका उत्तराधिकारी भी ऐसा ही हो सकता है जो अल्लाह की इच्छानुसार लोगों के सुधार और संगठन का ज़िम्मेदार हो और जिसकी आज्ञाएं राजनैतिक चालों और स्वार्थी इच्छाओं से दूर हों और उसकी आज्ञाओं पर खुद उसकी अपनी भावनाओं की छाँव पड़ने की सम्भावना हीन हो। ऐसे ही व्यक्ति को 'मासूम' या अभ्रान्त कहते हैं।

ख़लीफ़ा बनाने का अधिकार

यह बिलकुल अक़्ल में आने की बात है कि किसी पद के असली अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार जिसको हो, उसी को उस अधिकारी के जानशीन और उत्तराधिकारी की नियुक्ति का भी अधिकार हो।

लोगों को अपने बहुमत, या सहमत होने, से किसी को चुन लेने का अधिकार जो प्रजातंत्रवाद की मांग है, अगर धार्मिक शासन में भी स्वीकार किया गया होता तो रसूल ही के चुन लेने का हक़ उम्मत (उसकी राय पर चलने वालों) को होता मगर मुसलमानों का कोई भी सम्प्रदाय इस से सहमत नहीं है। रसूल की नियुक्ति केवल अल्लाह की ओर से होती है। इसी प्रकार रसूल के ख़लीफ़ा की नियुक्ति भी लोगों के हाथ में नहीं है वरन् अल्लाह ही की ओर से होना ठीक है जिसकी सूचना रसूल के द्वारा लोगों को दी जायगी।

ख़लीफ़ा की उपस्थिति का उद्देश्य लोगों का सुधार है। अगर उसके नियुक्त करने का अधिकार उन्हीं को दे दिया गया तो वे ऐसे ही को चुनेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इच्छानुसार चले। इस से सुधार असम्भव हो जाए।

पैग़म्बर की घोषणाएं

बेसत (पैग़म्बरी का पद मिलने) के बाद जब रसूल को आज्ञा मिली कि अपने कुटुम्ब वालों को ज्ञान का सन्देश पहुँचाइए तो रसूल ने इस आज्ञा का पालन करते हुए बनी हाशिम को जमा किया और अपने रसूल होने की सूचना उनको दी और फिर कहा, ''कौन है तुम में से जो इस समय मेरी सहायता करना स्वीकार करे, वही मेरा जानशीन और उत्तराधिकारी होगा'' कोई न था जो उस समय उनकी सहायता करने पर तत्पर होता सिवाए हज़रत अली के जो खड़े हुए और रसूल की सहायता करने पर तैयार हुए और रसूल ने उनके कन्धे पर हाथ रखकर कहा, ''बस यही मेरा ख़लीफ़ा और उत्तराधिकारी होगा''।

.... स्पष्ट है कि यदि ख़लीफ़ा के चुनाव का सम्बन्ध साधारण लोगों से होता तो रसूल को उस समय इस घोषणा और समझाने का मौक़ा ही न था। खुद उस समय आपका एलान इस बात का सुबूत है कि जिस प्रकार आपकी रिसालत (रसूल का पद) अल्लाह की ओर से है उसी प्रकार आपके ख़लीफ़ा और उत्तराधिकारी की नियुक्ति भी अल्लाह की ओर से है जिसकी सूचना देना रसूल का कर्तव्य है। फिर समय-समय पर आप भिन्न-भिन्न शब्दों में इसको प्रकट करते रहे और फिर जब अपने जीवन का आख़िरी हज किया तो ग़दीरेख़ुम पर पहुँच कर अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हुए मुसलमानों के आम मजमे में एक लम्बा ख़ुतबा कहा जिसमें इस्लाम फैलाने और मुसलमानों को उचित मार्ग पर लगाने में अपने कष्टों का वर्णन करने के बाद अपनी मृत्यु के निकट होने की सूचना दी। फिर उनसे हामी भराई कि ''क्या मेरा तुम्हारे ऊपर खुद तुम से ज़्यादा अधिकार नहीं है?'' जब सब ने हामी भर ली तो आप ने सब की आँखों के सामने हज़रत अली को ऊँचा किया और कहा, ''जिसका मैं हाकिम हूँ उसके ये अली हाकिम होंगे।'' इस घोषाणा के बाद बहुत से लोगों ने अली बिन अबीतालिब को बधाई दी और रसूल की आज्ञानुसार अमीरुलमोमिनीन (मुसलमानों के हाकिम) कह कर सलाम किया।

यह सब कुछ रसूलुल्लाह ने अपने मृत्यु से करीब ढाई महीने पहले कर दिया और इस घोषणा के बाद मदीने आए और कुछ दिन के बाद बीमार हो गए और इस संसार से प्रस्थान किया।

उपर्युक्त घोषणाओं के साथ-साथ जिनके द्वारा आपने अपने पहले उत्तराधिकारी की घोषणा की दूसरी

शेष........ पेज 14 पर

और अगर मदद के लिए जाएंगे तो सिर्फ़ बेइज़्ज़ती हाथ लगेगी। दोनों तरह मज़ाक़ उड़ाने का मौक़ा मिलेगा। रसूलुल्लाह[स०] ने उस मज़लूम की फ़रियाद सुनी, ये नहीं पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ा है या नहीं। फौरन इबादत छोड़कर उसके साथ चल दिये अरब के सरदारों ने पीछे-पीदे अपना एक जासूस भेज दिया, रसूलुल्लाह[स०] ने अबूजहल का दरवाज़ा खटखटाया। उसने पूछा कौन है? फ़रमाया, मुहम्मद[स०] हूँ। इतिहास कहता है दौड़ता हुआ आया दरवाज़ा खोला, अबूजहल के चेहरे का रंग उड़ा था। ऐ मुहम्मद[स०] क्या बात है क्यों आए हो? फ़रमाया, फ़ौरन इसके ऊँट की क़ीमत अदा करो। कहा, इतनी इजाज़त दो कि घर के अंदर से ले आऊँ। दौड़ता हुआ गया पूरी क़ीमत लाकर दी। ऐ मुहम्मद[स०] और कोई हुक्म हो तो बताओ। फ़रमाया, आइन्दा कोई ऐसी हरकत न करना। क़बीले औस का वह शख़्स खुशी-खुशी मक्का के सरदारों के पास पहुँचा और शुक्रिया अदा किया कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही आदमी को भेजा था। मेरी रक़म फ़ौरन मिल गई। उनकी हैरत की इन्तेहा न रही। जिसको जासूसी के लिए भेजा था। उस से पूछा कि तुम वाक़िआ बताओ। जासूस ने कहा, वह जिसे मैं सोच भी नहीं सकता था, मुसलमानों के रसूल[स०] ने जैसे ही अबूजहल को आवाज़ दी वह दौड़ा हुआ निकल आया इस तरह से कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जो मुहम्मद[स०] कहते जाते थे वह करता जाता था। सरदारों ने देखा सामने से अबूजहल चला आ रहा है। मक्का के सरदार झल्लाकर बोले, तुझे मौत आ जाए तुझे हुआ क्या था? अबूजहल बोला मैं खुद नहीं बता सकता कि मुझे क्या हो गया था। मुहम्मद[स०] की आवाज़ सुनते ही ऐसा लगा मेरी जान निकल जाएगी। बस जैसा वह कहते गए मैं करता गया। इस वाक़िए की ख़ास बात ये है कि अबूजहल रसूले इस्लाम[स०] की रूहानी ताक़त से इतना घबरा गया कि अगर फ़रमाते कि कलमा पढ़ लो तो पढ़ लेता, मगर मज़लूम की मदद के लिए तो ताक़त का इस्तेमाल हुआ वह रूहानी ही सही मगर कलमा पढ़वाने के लिए नहीं, क्योंकि इस्लाम सख़्तीसे इस नज़रिये पर क़ायम था कि ''दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं''। अल्लाह के रसूल[स०] ने मिसाल बना दी कि देखो मज़लूम और सताए हुए की मदद करो चाहे वह काफ़िर ही क्यों न हो, हमारे कुछ मुसलमान बादशाह भी काफ़िरों की मदद फ़रमाते हैं, मगर मज़लूमों की नहीं, बल्कि ज़ालिमों की वह भी मुसलमानों पर ही ज़ुल्म ढाने के लिए।

(जारी)

शेष....... उसूले दीन

हदीसों (रसूल का कथन हदीस कहलाता है) में यह भी बताया कि मेरे बारह ख़लीफ़ा होंगे। इन बारह के नाम कुछ ख़ास सहाबियों (साथियों) से खुद आपने भी बताए और इनमें से हर एक इमाम (ख़लीफ़ा) भी अपने बाद के इमाम का नाम स्पष्ट रूप से बताता रहा। इस प्रकार रसूल के बाद इस इलाही हुकूमत (ऐश्वरीय शासन) के शासक नियुक्त होते रहे जिसकी नींव रसूल के द्वारा डाली गई थी।

सांसारिक ख़लीफ़ा

हज़रत रसूलुल्लाह के देहान्त के बाद मुसलमानों ने राजनैतिक अभिप्रायों के लोभ में इलाही हुकूमत के विरूद्ध अपने लिए शासक चुन लिए। चूँकि ये 'कारवाई' इस्लामी क़ानून के विरूद्ध थी इसलिए पैग़म्बर के कुटुम्ब वालों और कुछ धर्म के पक्के सहाबियों (पैग़म्बर के साथियों) ने इन ख़लीफ़ाओं के शासन को स्वीकार नहीं किया और इस्लाम के सच्चे मानने वालों ने आज तक उन हुकूमतों को स्वीकार नहीं किया है।

(जारी)